राजस्थान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना का वर्तमान परिदृश्य

आशिष जोरासिया

शौधार्थी, लोक प्रशासन विभाग,

राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा

प्रस्तावना (Abstract)

संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र की अनुपालना में सन् 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, पारित किया गया था। इस अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 2 फरवरी, 2006 से देश के 200, चयनित निर्धारित जिलो में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे मजदूर परिवारों के प्रति परिवार एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार सरकार द्वारा उनके गाँव की 5 किलोमीटर की परिधी में उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजनान्तर्गत मजदूरी के रूप में अनाज एवं नकद दोनों दिये जाते हैं। यदि किसी इच्छुक व्यक्ति को उसकी मांग पर 15 दिन के अन्दर रोजगार नहीं दिया जाता है तो उसे नियमानुसार प्रतिदिन का भत्ता सरकार द्वारा दिया जाता है।

राजस्थान में 2 फरवरी, 2006 को छः जिलों में यह योजना लागू की गई थी। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के अनुसार अकुशल कार्य के लिये इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में 100 दिन का मांग आधारित श्रम आंवटित किया जाता है। 1 अप्रैल, 2008 से यह योजना राज्य के सभी जिलों में प्रारम्भ की गई है। 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण किया गया है। वर्तमान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना कहलाती है। राजस्थान में यह योजना काफी सफल रही है तथा भविष्य में भी प्रगति पथ की ओर अग्रसर है।

- *राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 को अनुसार अकुशल कार्य के लिए इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में 100 दिन का मांग आधारित काम आवंटित किया जाता है।*
- *राज्य में 2 फरवरी, 2006 से प्रथम चरण में 6 जिलें यथा बांसवाड़ा, डुंगरपुर, करौली, सिरोही, झालावाड़ एवं उदयपुर में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।*
- *द्वितीय चरण में दिनांक 02.05.2007 से यह योजना राज्य के अन्य 6 जिलें यथा बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, टोंक, जालोर एवं सवाईमाधोपुर में प्रारंभ की गई।*
- *तृतीय चरण में दिनांक 1 अप्रेल, 2008 से यह योजना राज्य के शेष सभीजिलों में प्रारंभ की गई।*
- *2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का पुनः नामांकन किया गया है। वर्तमान में यह 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना' के नाम से जानी जाती है।*

योजना की मुख्य विशेषताएं

- ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय परिवार योजनान्तर्गत पंजीकरण हेतु योग्यहै।
- पंजीकरण के 15 दिवस में आवेदन के अनुसार सभी वयस्क सदस्यों के नाम व फोटोयुक्त निःशुल्क जॉबकार्ड जारी किया जाना अनिवार्य है।
- जॉबकार्ड धारक परिवार ही योजनान्तर्गत रोजगार की मांग किये जाने हेतु योग्य है।
- रोजगार की मांग हेतु प्रपत्र 6 में अथवा सादा कागज पर आवेदन किया जा सकता है। रोजगार की मांग किये जाने पर प्राप्ति रसीद भी दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिवस के रोजगार की मांग एक साथ भी की जा सकती है।
- रोजगार की मांग किये जाने पर आवेदन किये जाने की तिथि से 15 दिवस में अथवा जिस तिथि से रोजगार की मांग की गयी है, जो भी बाद में हो, रोजगार उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य हैं। रोजगार उपलब्ध नही कराये जाने पर बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का प्रावधान है।
- रोजगार गांव की 5 किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। अधिक दूरी होने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी देय है।
- योजनान्तर्गत मजदूरी का भुगतान टास्क आधारित है। श्रमिक द्वारा जितनीटास्क पूरी की जाती है उसी के अनुरूप मजदूरी का भुगतान देय है।
- योजनान्तर्गत एक तिहाई लाभार्थी महिला होना आवश्यक है।
- कार्यस्थल पर छाया, पीने के पानी की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा, पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्रेच की व्यवस्था, सूचना पट्ट लगाया जाना अनिवार्य है।
- योजनान्तर्गत ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की कार्य योजना तैयार करने, योजना की मॉनिटरिंग किये जाने, सामाजिक अंकेक्षण किये जाने का अधिकार दिया गया है।
- ठेकेदारों एवं मानव श्रम से किये जाने वाले कार्यों के लिए मशीनों का उपयोग निषेध है।
- समस्त भुगतान बैंक/पोस्ट ऑफिस में सीधे लाभार्थी के खाते में किया जाता है।
- पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व निर्धारण को विशेष महत्व दिया गया है। योजनान्तर्गत समस्त सूचनाएं वैबसाइट के माध्यम से आम जनता को उपलब्ध है।
- योजनान्तर्गत श्रम एवं सामग्री का अनुपात 60. 40 नियत है। ग्राम पंचायतों द्वारा सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों के लिए यह अनुपात ग्राम पंचायत स्तर पर तथा अन्य कार्यकारी संस्थाओं के द्वारा सम्पादित कायों के लिए अनुपात जिला स्तर पर संधारित किये जाने का प्रावधान है।
- योजनान्तर्गत 60 प्रतिशत व्यय कृषि एवं इससे संबन्धित अन्य प्रकार केकार्यों पर किये जाने का प्रावधान किया गया है।
- योजनान्तर्गत भुगतान को आधार कार्ड से भी जोडा गया है।

योजना में अनुमत कार्य

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 04–01.2014 को अधिनियम की अनुसूची 1 में किये गये परिवर्तन के उपरान्त अधिनियम

की अनुसूची 1 के अनुसार निम्न कार्य योजनान्तर्गत कराया जाना अनुमत है।

1. **प्रवर्ग अः प्राकृतिक संसाधनं प्रबंधन से संबंधित लोक निर्माण (Public worksrelating to Natural Resources Management)–**

   (i) पेयजल स्त्रोत सहित परिष्कृत भूजल पर विशेष ध्यान के साथ भूमिगतसुधार के लिए जल संरक्षण और जल शास्य;

   (ii) जल संचय के व्यापक उपचार के परिणामस्वरूप खाई रूपरेखा, कगार, खाई पुश्ता, गोलाश्म अवरोध पीपा ढांचे और झरना शेड विकास जैसे जलसंभर प्रबंधन कार्य,

   (iii) सूक्ष्म और लघु सिंचाई कार्य और सिंचाई नहरों तथा नालियों का सृजन, पुनरुज्जीवन और अनुरक्षण;

   (iv) सिंचाई कुंडों और अन्य जलाशयों की डिसिल्टिग सहित पारंपरिकजलाशयों का पुनरुज्जीवन।

   (v) पैरा 5 में आने वाली गृहस्थी के भोगाधिकार सम्यक, रूप से प्रदान और तटीय पट्टी में वन भूमि में वृक्षारोपण, वृक्ष उगाना, और बागवानी तथा,

   (vi) सामान्य भूमि में भूमि विकास कार्य।

2. **प्रवर्ग आ : दुर्बल वर्गों के लिए सामुदायिक परिसम्पतियां या व्यक्तिगत परिसम्पत्तियां (केवल नोट में वर्णित गृहस्थी के लिए (Community Assets or Individual Assets for vulnerable sections only for Households as stated in note)**

   (i) भूमि विकास के माध्यम से और खुदे हुए कुओं, कृषि तालाबों तथा अन्य जल संचयन संरचनाओं सहित उपलब्ध कराकर पैरा 5 में विनिर्दिष्ट गृहस्थियों की भूमि की उत्पादकता में सुधार करना;

   (ii) उद्यान कृषि, रेशम कृषि, पौधा रोपण और कृषि वानिकी के माध्यम सेआजीविका में सुधार करना;

   (iii) इसे जुताई के अधीन लाने के लिए पैरा 5 में परिभाषित गृहस्थियों कीपरती भूमि या बंजर भूमि का विकास;

   (iv) इंदिरा आवास योजना या ऐसे अन्य राज्य या केन्द्रिय सरकार की स्कीम के अधीन स्वीकृत गृहों के संनिर्माण में अकुशल मजदूरी संघटक।

   (v) कुक्कुट आश्रय, बकरी आश्रय, सुकर आश्रय, पशु आश्रय, चारा द्रोणिका जैसे पशु धन के संवर्धन के लिए अवसंरचना का सृजन करना; और

   (vi) मछली शुष्कण यार्डों, भंडारण सुविधाओं जैसे मत्सय पालन और सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जलाशयों में मत्सयपालन के संवर्धन के लिए अवसंरचना सृजित करना,

3. **प्रवर्ग–इ : स्वयं सहायता समूहों जिनके अन्तर्गत एनआरएलएम के लिए भी है, के लिए सामान्य अवसंरचना (Common Infrastructure for Self Help Groups including for NRLM)**

   (i) जैव उर्वरकों और पश्च कटाई सुविधाएं जिनके अन्तर्गत कृषि उत्पाद के लिए पक्का भण्डारण सुविधाएं भी हैं, के लिए अपेक्षित टिकाऊ अवसंरचना सृजित करके कृषि उत्पादकता संवर्धन करने के लिए संकर्म; और

(ii) स्वयं सहायता समूहों की आजीविका क्रियाकलापों के लिए सामान्य कार्यशाला;

4. प्रवर्ग–ई : ग्रामीण अवसरंचना (Rural Infrastructure)

(i) विहित संनियमों के अनुसार स्वतंत्र रूप से या 'खुले में मल त्याग न करने' प्रस्थिति तथा ठोस और द्रव अपशिष्ट प्रबंधन को प्राप्त करने के लिए अन्य सरकारी विभागों की स्कीमों के अनुसार व्यष्टिक घरेलु शौचालय, विद्यालय शौचालय एकक, आंगनबाड़ी शौचालयों जैसे कार्यों से सम्बन्धित ग्रामीण स्वच्छता;

(ii) असंबद्ध ग्रामों को और विद्यमान पक्का सड़क नेटवर्क के लिए अभिज्ञात ग्रामीण उत्पादन केंद्रों को जोडने के लिए सभी मौसमों में ग्रामीण सड़क संयोजकताउपलब्ध कराना, और ग्राम में पक्की आन्तरिक सड़कें या गतियों, जिनके अन्तर्गत पार्शिवक नालियां और पुलियां भी हैं, का निर्माण;

(iii) खेल के मैदानों का संनिर्माण,

(iv) आपदा तैयारी में सुधार करना या सडकों का जीर्णोंद्वार या अन्य आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म भी है, का जीर्णोद्वार, जलमग्न क्षेत्रों में, अपवहन, उपलब्ध कराने, बाढ़ जलमार्गों की मरम्मत करने, चॉयर जीर्णोंद्वार, तटीय संरक्षण के लिए तुफानी जल नालियों का संनिर्माण संबंध संकर्म;

(v) ग्राम पंचायतों के लिए, महिला स्वयं सहायता समूहों, परिसंघों, चक्रवात आश्रय, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्रामीण हाटों और ग्राम या ब्लॉक स्तर पर में शवदाह गृह के लिए भवनों का संनिर्माण;

(vi) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए खाद्यान भंडारण संरचनाओं का संनिर्माण,

(vii) अधिनियम के अधीन संनिर्माण संकमाँ के लिए ऐसे संकर्मों केप्राक्कलन के भाग के रुप में अपेक्षित निर्माण सामग्री का उत्पादन,

(viii) अधिनियम के अधीन सृजित ग्रामीण लोक आस्तियों का रखरखाव, और

(ix) कोई अन्य कार्य, जो इस संबंध में राज्य सरकार के परामर्श से केंद्रीयसरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

(x) संकर्म की प्राथमिकता का क्रम स्थानीय क्षेत्र की संभाव्यता, उसकी आवश्यकताओं स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए तथा पैरा 9 के उपबंधों के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों में प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अवधारित किया जाएगा।

योजना की प्रगति

- माह दिसम्बर, 2013 से मार्च, 2014 तक नरेगा योजनान्तर्गत कुल रू. 69527 लाख का व्यय कर 743 लाख मानव दिवस सृजित किये गये है।
- वर्ष 2014–15 में 36.85 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाकर 168546 लाख मानव दिवस सृजित किये गये है, एवं रू.325275.87 लाख का व्यय

किया गया है। कुल व्यय में श्रम सामग्री का अनुपात 69 : 31 रहा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं द्वारा 20 से 68 प्रतिशत मानव दिवस का सृजन किया गया है। वर्ष के दौरान 1 लाख 80 हजार कार्य पूर्ण किये गये।

- वर्ष 2015–16 में दिसम्बर 2015 तक 35 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाकर 1586 लाख मानव दिवस सृजित किये गये है, एवं रू. 2 लाख 31 हजार का व्यय किया गया है। श्रम सामग्री अनुपात 79 : 21 रहा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं द्वारा 21 से 70 प्रतिशत मानव दिवस का सृजन किया गया है। कुल कार्य 3 लाख 56 हजार में से 1 लाख 38 हजार कार्य केटेगरी IV के किये जा रहे हैं। अभी तक 56 हजार कार्य पूर्ण किये जा चुके है। वर्ष 2015–16 में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मानव दिवस का सृजन किया गया है।
- दिसम्बर, 2013 से दिसम्बर, 2015 तक 6166 करोड़ रूपये व्यय कर 3858 लाख मानव दिवस सृजित किये गये। 2016–2017 में इस योजना पर व्यय राशि 5152.21 करोड़ रुपये एवं 2596.84 लाख मानव दिवस सृजित किये गये।

सुझाव

1. उक्त योजना और उसके प्रबन्धन को बेहतर बनाना चाहिए ताकि इसके उद्देश्य को तय समय पर पूरा किया जा सके।
2. कार्य की समीक्षा हेतु तकनीकी गुणवत्ता युक्त व्यक्ति भर्ती किये जाने चाहिये।
3. भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु कार्य करने वाले श्रमिकों की मस्टररोल को बायोमेट्रिक के माध्यम से भरना चाहिए।
4. श्रमिकों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा उपकरण एवं उनका बीमा पंजीयन उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि उनके भविष्य को बेहतर बनाया जा सके।
5. योजना की स्थिति को सुदृढ करने हेतु समय–समय पर औचिक निरीक्षण किये जाने चाहिए तथा उसका प्रतिवेदन उसी समय ऑनलाईन प्राप्त करना चाहिए ताकि इस योजना के उद्देश्य को सही मायने में प्रगति के पथ पर ले जाया जा सके।

सन्दर्भ

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005
2. जोशी वर्षा, सुरजीवसिंह, जोशी के.एन. ''इवोल्युशन ऑफ नरेगा इन राजस्थान'' इडस जयपुर, सितम्बर 2008
3. राजस्थान पत्रिका, 3 अक्टूबर 2009, पृष्ठ।
4. महत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2011
5. ''इण्ड़िया टूडे'' भारत की योजना मनरेगा, दिसम्बर 2012
6. सफलता के दो वर्ष – ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर।

Copyright © 2017 *Ashish Jorasia*. This is an open access refereed article distributed under the Creative Common Attribution License which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.